198

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 27 नवम्बर, 1995 (अग्रहायण 6, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामनिवास रावत, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-45-95-बाईस-पं.-2, दिनांक 29 सितम्बर, 1995 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री थावरचंद गेहलोत, सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा कृषकों से सोयाबीन की खरीदी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम चन्द्रपुर में एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसकी दोनों आँखें निकाल दिये जाने की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 113-मुंगेली के सदस्य श्री खेमसिंह बारमते को नवम्बर-दिसम्बर, 1995 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 159-बेमेतरा के सदस्य डॉ. चेतन सिंह वर्मा को नवम्बर-दिसम्बर, 1995 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री हजारीलाल रघुवंशी, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 31 अगस्त, 1995 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्रमांक 2721) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा श्री रामनिवास रावत, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 36 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (शेष 30 मि.) प्रदेश में विद्युत कटौती, विद्युत उत्पादन में कमी तथा किसानों को विद्युत आपूर्ति न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

8. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

45 मि. (1) प्रदेश की अधूरी एवं लम्बित सिचाई योजनाओं को पूर्ण करने के संबंध में श्री उदय मुदलियार, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

45 मि. (2) प्रदेश के बढ़ते औद्योगीकरण एवं लगने वाले उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार हेतु ठोस कदम उठाने के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 26 नवम्बर, 1995